पुष्पराज त्रिवेदी स्टाम्प विक्रेता तहसील कुण्डा प्रतापगढ़ दस रुपये TEN RUPEES

पुष्पराज त्रिवेदी स्टाम्प विक्रेता तहसील कुण्डा प्रतापगढ़ ONE RUPEE

ONE RUPEE

ONE RUPEE

निरस्त निरस्त

5=13=00.

नकल आदेश दिनांक 09-11-21 न्यायालय उपजिलाधिकारी कुण्डा प्रतापगढ़

सांई ग्रामोत्थान सेवा समिति मनगढ़ द्वारा प्रबंधक रोहित सिंह

बनाम

उ०प्र० सरकार

अन्तर्गत धारा-80 उ०प्र० रा०सं०
2006 ग्राम-मनगढ़ प०-बिहार
तह०-कुण्डा जनपद-प्रतापगढ़।

(757)

नकल आदेश दिनांक 09-11-21 की प्रमाणित छायाप्रति साथ में संलग्न है।

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :प्रयागराज,जनपद :प्रतापगढ,तहसील :कुण्डा
वाद संख्या :-3698/2021
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202102570103698
साईं ग्रामोत्थान सेवा समिति मनगढ़ द्वारा प्रबंधक रोहित सिंह बनाम उ०प्र० सरकार द्वार जिलाधिकारी आदि
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

प्रस्तुत वाद वादी सांई ग्रामोत्थान सेवा समिति मनगढ़ द्वारा प्रबन्धक रोहित सिंह सुत कौशलेन्द्र बहादुर सिंह नि0 ग्राम–मनगढ़, परगना–बिहार, तहसील–कुण्डा, जनपद–प्रतापगढ़ के प्रार्थना पत्र जो आर0सी0 प्रपत्र 25 पर प्रस्तुत किया गया है, के आधार पर धारा–80 उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि ग्राम–मनगढ़, परगना–बिहार, तहसील–कुण्डा की वर्तमान खतौनी खाता सं0 01040 गाटा सं0 1571घ/0.316हे0 सम्पूर्ण, खाता सं0 512 गाटा सं0 1571ङ/0.316हे0 व खाता सं0 00826 गाटा सं0 1569/0.183हे0 कुल 3 किता/0.815हे0 सम्पूर्ण भूमि वादी की संक्रमणीय भूमिधरी भूमि है, उक्त भूमि में मौके पर भवन निर्माण व प्रांगढ बनाया गया है जिस पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। अभिलेख में वादी का नाम तनहा रूप में दर्ज है, उक्त भूमि में 0.815हे0 भूमि को वादी द्वारा अकृषिक/व्यवसायिक/आवासीय दर्ज किये जाने का अनुरोध किया गया है।

वाद दर्ज कर पक्षों को नोटिस जारी की गयी। जो बाद तामीला संलग्न पत्रावली है। तहसील से जाँच आख्या मंगाई गयी। लेखपाल की आख्या दिनांक 04.02.2021 व राजस्व निरीक्षक की आख्या दिनाक 05.02.2021 व तहसीलदार कुण्डा की आख्या दिनांक 09.02.2021 शामिल पत्रावली है। जिसमें कहा गया है कि भूमि स्थित ग्राम–मनगढ़, परगना–बिहार, तहसील–कुण्डा की खाता सं0 01040 गाटा सं0 1571घ/0.316हे0 सम्पूर्ण, खाता सं0 512 गाटा सं0 1571ङ/0.316हे0 व खाता सं0 00826 गाटा सं0 1569/0.183हे0 कुल 3 किता/0.815हे0 सम्पूर्ण भूमि वादी की संक्रमणीय भूमिधरी भूमि है, उक्त भूमि में मौके पर भवन निर्माण व प्रांगढ बनाया गया है जिस पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। वादी का नाम राजस्व अभिलेखों में तनहा रूप में दर्ज है, वादी के उक्त अंश पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है, जिसके स्थल का फोटोग्राफ भी संलग्न पत्रावली है। तहसीलदार की संलग्न आख्या से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि को अकृषिक/व्यवसायिक घोषित किये जाने से सार्वजनिक न्यूसेंस होने की सम्भावना नही है या सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है तथा प्रश्नगत भूमि

हाइवे/किसी प्रयोजन में प्रभावित नहीं है। अभिलेखों तथा तहसीलदार की संलग्न आख्या से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि ग्रामसभा की सामान्य अथवा सार्वजनिक उपयोग की भूमि नहीं है। (धारा 77 उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 से आच्छादित नहीं है।) कुल भूमि 0.815हे0 भूमि का मूल्यांकन जिलाधिकारी के सर्किल रेट के आधार पर 2771000/— रू0 होता है, जिसका 2% उद्घोषणा शुल्क रू0 55420/— होता है, जो सरकारी कोष में चालान सं0 5301/01/B600014 दिनांक 06.02.2021 को जमा किया गया तथा 1% न्याय शुल्क रू0 27710/— होता है जो सरकारी कोष में चालान सं0 5301/01/B600015 दिनांक 06.02.2021 को जमा किया गया तथा स्थलीय निरीक्षण शुल्क 1000/— रू0 जो सरकारी कोष में चालान सं0 5301/01/B600017 दिनांक 06.02.2021 को जमा किया गया। जिसकी जमा रसीद संलग्न पत्रावली है तथा घोषणा पत्र हेतु 20/— रू0 का स्टाम्प पेपर जिस पर 5/— का न्यायालय शुल्क अदा किया गया, जो संलग्न पत्रावली है। नोटिस तामीला के उपरान्त पर्याप्त समय बीत जाने के बाद भी कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुयी, वाद निर्विवाद है।

वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया तथा मेरे द्वारा स्वयं मौके पर निरीक्षण किया गया। जिससे स्पष्ट है कि ग्राम—मनगढ़ परगना—बिहार, तहसील—कुण्डा, जनपद—प्रतापगढ़ की खाता सं0 01040 गाटा सं0 1571घ/0.316हे0 सम्पूर्ण, खाता सं0 512 गाटा सं0 1571ङ/0.316हे0 व खाता सं0 00826 गाटा सं0 1569/0.183हे0 कुल 3 किता/0.815हे0 सम्पूर्ण भूमि वादी की संक्रमणीय भूमिधरी भूमि है, उक्त भूमि में मौके पर भवन निर्माण व प्रांगढ बनाया गया है जिस पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। मौके पर आस पास मकान बने हुए है तथा प्रश्नगत भूमि पर मकान बना हुआ है। प्रश्नगत भूमि पर कोई कृषि कार्य नहीं हो रहा है। जिसे अकृषिक/व्यवसायिक घोषित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं प्रतीत होती है।

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :प्रयागराज,ज़नपद :प्रतापगढ,तहसील :कुण्डा
वाद संख्या :-3698/2021
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202102570103698
साई ग्रामोत्थान सेवा समिति मनगढ द्वारा प्रबधक रोहित सिंह बनाम उ०प्र० सरकार क्षार जिलाधिकारी आदि
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश

अतः सांई ग्रामोत्थान सेवा समिति मनगढ़ द्वारा प्रबन्धक रोहित सिंह सुत कौशलेन्द्र बहादुर सिंह नि0 ग्राम–मनगढ़, परगना–बिहार, तहसील–कुण्डा, जनपद–प्रतापगढ़ की भूमि स्थित ग्राम–मनगढ़ परगना–बिहार की वर्तमान खतौनी खाता सं0 01040 गाटा सं0 1571घ/0.316हे0 सम्पूर्ण, खाता सं0 512 गाटा सं0 1571ङ/0.316हे0 व खाता सं0 00826 गाटा सं0 1569/0.183हे0 कुल 3 किता/0.815हे0 सम्पूर्ण भूमि पर वादी का वाद स्वीकार करते हुए भू–राजस्व से मुक्त करते हुए अकृषिक/व्यवसायिक प्रख्यापित किया जाता है। तहसीलदार कुण्डा की प्रेषित आख्या एवं लेखपाल की अनुकृति आदेश का अंग होगा। पत्रावली में सत्यापित अभिलेखीय आख्या, शपथ पत्रों के असत्य/त्रुटिपूर्ण अथवा मिथ्या तथ्य संज्ञान में आने की स्थिति में यह आदेश उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा 82 के तहत स्वतः निरस्त समझा जायेगा। आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार कुण्डा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आदेश का अनुपालन राजस्व अभिलेखों में कराकर आख्या 15 दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की एक प्रति उपनिबंधक कुण्डा, प्रतापगढ़ को अभिलेखों में अंकन कराने हेतु भेजी जाय। तद्नुसार परवाना अमल दरामद जारी हो। अनुपालन कार्यवाही के उपरान्त पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

9.XI.2021

दिनांक :- 9.XI.2021

(सतीश चन्द्र त्रिपाठी)
उप जिलाधिकारी,
कुण्डा–प्रतापगढ़

प्रमाणित
18/12/21

नकल क्रमांक 757
नकल ... 17-12-21
नकल तैयारी दिनांक 18-12-21
नकल ... दिनांक 18-12-21